तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भावाराम पुत्र सवाजी माली निवासी खारा कुआ राजेन्द्र कॉलोनी, टेकरावास, भीनमाल 343029 जिला जालोर (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 79/2024 जीसीएमएस नं. :– 2024/142 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 18.06.2024 में वर्णित सूंचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरियेपत्रांक/रा.लो.सू.अ./विविध/2024/448 दिनांक 04.09.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि इस कार्यालय :को प्रार्थी का आवेदन–पत्र आदिनांक तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक **09.09.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। **(एल.एन. मंत्री)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	

Scanned with ACE Scanner